ए.

यू. आर. बी. ए. एन. इन्फ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट फंड बनाम

धर्मेश एस. जैन और ए. एन. आर.

(अवमानना याचिका (सी) 2021 का सं. 940)

बी.

(2021 का विविध आवेदन संख्या 1668)

(विशेष अवकाश याचिका (सी) 2021 की संख्या 14724) 10 मार्च, 2022

सी.

[एम**.** आर**.** शाह और बी**.** वी**.** नागरत्ना**,** जे**.** जे**.]**

अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971-दीवानी अवमानना-अदालत द्वारा पारित आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा-उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों-अभियुक्त अवमानकों के खिलाफ दायर मध्यस्थता कार्यवाही में पारित मध्यस्थता पुरस्कार पर रोक लगा दी, जो एक राशि जमा करने के अधीन है-इस तरह की जमा राशि की समय अवधि उच्चतम न्यायालय द्वारा दो मौकों पर बढ़ाई गई थी, जबकि निहितार्थ द्वारा रोक के आदेश को जारी रखा गया था-प्रतिवादियों-प्रतियोगियों की याची कि कोई जानबूझकर अवज्ञा नहीं थी और वित्तीय बाधा के कारण, वे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेशित राशि जमा करने की स्थिति में नहीं थे-पहले किसी भी समय, ऐसी याची नहीं ली गई थी-आयोजितःतथ्यों के आधार पर, याचिका में प्रामाणिकता की कमी थी और यह मान्य नहीं थी, क्योंकि यह एक विचारणीय विचार था-जब एक पक्ष जिसे किसी आदेश में नियमों या निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता होती है, उसने आदेश में निर्धारित समय के भीतर ऐसा नहीं किया है, तो पक्ष के लिए दो विकल्प उपलब्ध हैं जो इस तरह के आदेश का पालन करने के लिए आवश्यक थेः(क) न्यायालय को उन परिस्थितियों के बारे में स्पष्टीकरण दें जिनके कारण पक्ष न्यायालय के आदेश का पालन नहीं कर सका; (ख) न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए और समय की मांग करें-यदि किसी आदेश की शर्तों का पालन करने में देरी हुई है और जिस पक्ष ने आदेश का पालन करना था, उसने दोनों में से किसी भी विकल्प का सहारा नहीं लिया है, तो अनुपालन में देरी के लिए जिम्मेदार पक्ष को अवमानना करने वाला माना जा सकता है-इसके अलावा, चाहे कोई डिक्री निष्पादित करने योग्य हो या नहीं, यह निर्धारित करने में विचार किया जाने वाला प्रश्न था कि

अवमानना का मामला बनाया गया है या नहीं, क्या अवमानना करने वाले का आचरण ऐसा था जिससे ए.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1148

1149

उर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट फंड बनाम धर्मेश एस. जैन और ए. एन. आर.

न्यायालय की अवमानना के लिए सजा देने के लिए उपयुक्त मामला-वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी-प्रतियोगियों का आचरण ऐसा था जो उच्चतम न्यायालय की अवमानना क्षेत्राधिकार के आह्वान को उचित ठहराएगा-न केवल अवमानकर्ताओं ने इस तरह के उल्लंघन का कारण बताए बिना, या अनुपालन के लिए समय बढ़ाने की मांग किए बिना सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में अनुचित रूप से देरी की और चूक की; बल्कि उन्होंने आदेश के अनुपालन से बचने की भी मांग की, इसके अनुपालन के लिए दी गई विस्तारित समय अवधि का लाभ लेने के बाद भी-अवमानकर्ता इस समय दावा नहीं कर सकते कि जमा की आवश्यकता अनिवार्य नहीं थी, बल्कि निर्देशिका थी और इसलिए इसका पालन न करना अवमानना नहीं होगी-तथ्यों पर, उत्तरदाताओं-प्रतिवादियों ने जानबूझकर आदेश का उल्लंघन किया।एस. 34.

बी.

सी.

न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971-अवमानना अधिकारिता-न्यायालय की शक्तियों का आह्वान-अधिकार क्षेत्र और अधिकार क्षेत्रः अधिनियम के तहत किसी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केवल इसलिए समाप्त नहीं होगा, क्योंकि जिस आदेश या डिक्री की अवमानना का आरोप लगाया गया है, वह कानून के तहत निष्पादित करने योग्य है, यहां तक कि अवमानना की कार्यवाही का सहारा लिए बिना भी-हर मामले में अवमानना अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया जा सकता है जहां अवमानना करने वाले का आचरण ऐसा है जो न्याय के उचित पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप करेगा-अवमानना एक ऐसा मामला है जो अदालत द्वारा आदेश पारित करने के बीच है जिसमें अवमानना का आरोप लगाया गया है और अवमानना करने वाले के बीच है; इस तरह के आदेश की निष्पादन क्षमता के बारे में सवाल एक ऐसा सवाल है जो पक्षों के बीच है-अवमानना अधिकार

क्षेत्र का आह्वान करने की अदालत की शक्ति, किसी भी तरह से, अदालत के अधिकारों द्वारा परिवर्तित नहीं होती है।

डी.

ई.

एफ.

पार्टियाँ आपस में।

अवमानना याचिका का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.1** तत्काल मामले में, उच्च न्यायालय ने **08** अगस्त, **2019** के आदेश द्वारा याची द्वारा प्रतिवादी-अभियुक्त अवमानकों के खिलाफ दायर मध्यस्थता कार्यवाही में पारित मध्यस्थता पुरस्कार पर रोक लगा दी, बशर्ते कि राशि जमा की जाए।इस न्यायालय द्वारा रोक के आदेश को जारी रखते हुए इस तरह की जमा राशि की अवधि दो मौकों पर बढ़ा दी गई है।इसका लाभ उठाते हुए

जी.

एच.

1150 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 3 एस. सी. आर.

ए.

विस्तारित समय अवधि में, प्रतिवादी-दावेदार, इस मोड़ पर, यह याचिका नहीं ले सकता है कि जमा की शर्त का पालन न करने से केवल मध्यस्थ का पुरस्कार प्रवर्तनीय हो जाएगा और इसका पालन करने में विफलता का अदालत की अवमानना अधिनियम, **1971** के तहत कोई परिणाम नहीं होगा।**[**पैरा **13.1] [[1170-**बी-सी**] 1.2**।इसके अलावा, यह सामान्य कानून है कि न्यायालय की अवमानना अधिनियम, **1971** के तहत न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केवल इसलिए समाप्त नहीं होगा, क्योंकि जिस आदेश या डिक्री की अवमानना का आरोप लगाया गया है, वह कानून के तहत निष्पादित करने योग्य है, यहां तक कि अवमानना कार्यवाही का सहारा लिए बिना भी।**[**पैरा **13.2] [1170-**डी**]**

बी.

1.3.अवमानना क्षेत्राधिकार को हर उस मामले में लागू किया जा सकता है जहां अवमानना करने वाले का आचरण ऐसा हो जो न्याय के नियत मार्ग में हस्तक्षेप करे।अवमानना एक ऐसा मामला है जो न्यायालय द्वारा उस आदेश को पारित करने के बीच है जिसमें अवमानना का आरोप लगाया गया है और अवमानना करने वाले के बीच है**;** इस तरह के आदेश की निष्पादन क्षमता के बारे में सवाल एक ऐसा सवाल है जो दोनों पक्षों से संबंधित है।अवमानना अधिकारिता

का आह्वान करने की न्यायालय की शक्ति, किसी भी तरह से, दोनों पक्षों के अधिकारों द्वारा परिवर्तित नहीं होती है।[पैरा **13.3] [1170-ई]**

सी.

डी.

2. अब, जहाँ तक उत्तरदाताओं की ओर से मामला है कि कोई जानबूझकर अवज्ञा नहीं है और वित्तीय बाधा के कारण, उत्तरदाता उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित आदेश **08.08.2019** और इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार राशि जमा करने की स्थिति में नहीं हैं, वही एक विचार के अलावा और कुछ नहीं है।इससे पहले कभी भी इस तरह की याचिका नहीं ली गई थी।मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, इस तरह के रुख में अब प्रामाणिकता का अभाव है।अब उत्तरदाताओं द्वारा लिया गया रुख कि वे वित्तीय कठिनाइयों के कारण राशि जमा करने और/या उच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन करने की स्थिति में नहीं हैं और इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित **08.08.2019** द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं करने में उत्तरदाताओं द्वारा कोई जानबूझकर अवज्ञा नहीं है और इस न्यायालय द्वारा **2021** की विशेष अनुमति याचिका **(C)** संख्या **14724** में **2021** के विविध आवेदन संख्या **1668** में दिनांकित **28.10.2021** द्वारा पारित आदेश में प्रामाणिकता का अभाव है और यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है।[पैरा **14] [1170-**एफ-जी**; 1171-**सी-डी**]** ए

ई.

एफ.

जी.

एच.

1151

उर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट फंड बनाम धर्मेश एस. जैन और ए. एन. आर.

3.1.जब एक पक्ष जिसे किसी आदेश में शर्तों या निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता होती है, उसने आदेश में निर्धारित समय के भीतर ऐसा नहीं किया है, तो पक्ष के लिए दो विकल्प उपलब्ध हैं जो इस तरह के आदेश का पालन करने के लिए आवश्यक थेः**(**क**)** न्यायालय को उन परिस्थितियों के बारे में स्पष्टीकरण दें जिनके कारण पक्ष न्यायालय के आदेश का पालन नहीं कर सका**; (**ख**)** न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए और समय की मांग करें।यदि किसी आदेश की शर्तों का पालन करने में देरी हुई है और जिस पक्ष ने आदेश का पालन किया है, उसने दोनों में से किसी भी विकल्प का सहारा नहीं लिया है, तो अनुपालन में

देरी के लिए जिम्मेदार पक्ष को अवमानना करने वाला माना जा सकता है।**[**पैरा **15] [1171-**डी**-**एफ**]**

बी.

सी.

3.2.इसके अलावा**,** इस बात की परवाह किए बिना कि कोई डिक्री निष्पादन योग्य है या नहीं**,** इस न्यायालय द्वारा यह निर्धारित करने में विचार किया जाने वाला प्रश्न था कि क्या अवमानना का मामला बनाया गया है**,** क्या अवमानना करने वाले का आचरण ऐसा था जो अदालत की अवमानना के लिए सजा देने के लिए एक उपयुक्त मामला बनाएगा।**[**पैरा **15.1] [1171-**जी**]**

डी.

4.1.वर्तमान मामले में**,** प्रतिवादी**-**अवमानकों का आचरण ऐसा है जो इस न्यायालय की अवमानना क्षेत्राधिकार के आह्वान को उचित ठहराएगा।अवमानकर्ताओं ने न केवल इस न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में अनुचित रूप से देरी की है और इस तरह के चूक का कारण बताए बिना या अनुपालन के लिए समय बढ़ाने की मांग किए बिना चूक की है**,** बल्कि उन्होंने आदेश के अनुपालन से बचने की भी मांग की है**,** इसके अनुपालन के लिए दी गई विस्तारित समय अवधि का लाभ लेने के बाद भी।अवमानकर्ता इस समय यह दावा नहीं कर सकते कि जमा की आवश्यकता अनिवार्य नहीं थी**,** लेकिन निर्देशिका और इसलिए इसका पालन न करना अवमानना नहीं होगी।**[**पैरा **16] [1171-**एच**; 1172-**ए**-**बी**]**

ई.

एफ.

4.2.प्रत्यर्थियों ने **2019** की वाणिज्यिक मध्यस्थता याचिका संख्या **55** में **2019** के प्रस्ताव संख्या **960** में उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक **08.08.2019** द्वारा पारित आदेश की जानबूझकर अवज्ञा की है और **2021** की विशेष अनुमति याचिका **(C)** संख्या **14724** में **2021** के विविध आवेदन संख्या **1668** में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक **28.10.2021** के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा की है और इस तरह उत्तरदाता नागरिक अवमानना के दोषी हैं और प्रस्तुत किए हैं।

जी.

एच.

ए.

स्वयं न्यायालय की अवमानना अधिनियम के प्रावधानों के तहत उपयुक्त सजा के लिए उत्तरदायी हैं। **[**पैरा **17] [1172-**सी**-**डी**]**

सुधीर वासुदेव बनाम एम**.** जॉर्ज रविशेखरन **(2014) 3**

एससीसी 373:[2014] 4 एससीआर 27; आर. एन. डे और ओआरएस बनाम

भाग्यबती प्रामाणिक और अन्य। **(2000) 4** एससीसी **400**

:[2000] 3 एससीआर **172-**प्रतिष्ठित।

बी.

राम नारंग बनाम रमेश नारंग **(2006) 11** एस**.** सी**.** सी**. 114:[2006] 3** एस**.** सी**.** आर**. 1068;** बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम सदरूद्दीन

हसन दया (2004) 1 एससीसी 360:[2003] 6 पूरक।

एससीआर **764;** बिहार राज्य बनाम सुभाष सिंह **(1997) 4** एससीसी **430:[1997] 1** एस**.** सी**.** आर**. 850;** मारुति उद्योग बनाम महिंदर

सी.

सी. मेहता एयर 2008 एससी 309:[2007] 10 एस. सी. आर. 933-पर निर्भर।

मृत्युंजय दास और अन्र. वी.सैयद हसीबुर रहमान

और ओआरएस., (2001) 3 एससीसी 739:[2001] 2 एससीआर 471; राम

किशन बनाम तरुण बजाज और अन्य **(2014) 16** एस**.** सी**.** सी**. 204:[2014] 1** एससीआर **538;** दिनेश कुमार गुप्ता बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य**, (2010) 12** एससीसी

डी.

770 :[2010] 13 एससीआर 599; जॉली जॉर्ज वर्गीज और एनर बनामद बैंक ऑफ कोच्चि, (1980) 2 एस. सी. सी. 360:[1980]

2 एससीआर **913;** डॉ**.** यू**.** एन**.** बोरा**,** पूर्व। मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य बनामअसम रोलर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन एंड अन्र। **(2022) 1** एस**.** सी**.** सी**. 101;** रीता मार्कंडेय बनाम सुरजीत सिंह

ई.

अरोड़ा, (1996) 6 एससीसी 14:[1996] 7 पूरक।एस. सी. आर. 56-संदर्भित।

संदर्भित निर्णय

एफ.

[2000] 3 एससीआर **172**

प्रतिष्ठित

पैरा **3.5**

[2001] 2 एससीआर **471**

संदर्भित किया गया है

पैरा **3.7**

[2014] 1 एससीआर **538**

संदर्भित किया गया है

पैरा **3.7**

[2010] 13 एससीआर **599**

संदर्भित किया गया है

पैरा **3.7**

जी.

[1980] 2 एससीआर **913**

संदर्भित किया गया है

पैरा **3.7**

(2022) 1 एस**.** सी**.** सी **101**

संदर्भित किया गया है

पैरा **3.7** ए

एच.

1153

उर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट फंड बनाम धर्मेश एस. जैन और ए. एन. आर.

[2006] 3 एससीआर **1068**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **4.6**

[2003] 6 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 764** पर निर्भर

पैरा **4.6 [1996] 7** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 56** पैरा **4.6 [2014] 4** एस**.** सी**.** आर**. 27** में संदर्भित है।

प्रतिष्ठित

पैरा **13.1**

बी.

[1997] 1 एससीआर **850**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **15**

[2007] 10 एससीआर **933**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **15.1**

अंतर्निहित अपील न्यायनिर्णयः2021 की अवमानना याचिका (सी) संख्या 940,2021 की विविध आवेदन संख्या 1668,2021 की विशेष अवकाश याचिका (सी) संख्या 14724 में।

सी.

2019 की वाणिज्यिक मध्यस्थता याचिका No.55 में 2019 के प्रस्ताव की सूचना No.960 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के इस न्यायालय के दिनांकित <ID2 और दिनांकित 08.08.2019 के निर्णय और आदेश से।

जयंत भूषण, वरिष्ठ अधिवक्ता, पुनीत सिंह बिंद्रा, नीरज कुमार, धीरज मेत्रे, सुश्री सिमरान जीत, सत्यश्रीकांत वुथा, सनमप्रीत सिंह, सनी सचिन रावत, अधिवक्तागण याची के लिए।

डी.

श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता, अशोक परांजपे, कुणाल वाजानी, कुणाल मिमानी, श्रेयस लेले, शुभांग टंडन, सुगंधा यादव, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

ई.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. वर्तमान अवमानना याचिका यहाँ याची द्वारा दायर की गई है-अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट फंड-पुरस्कार लेनदार जिसके पक्ष में विद्वान मध्यस्थ द्वारा न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत उत्तरदाताओं को दंडित करने के लिए एक पुरस्कार पारित विद्वान गया है, इस न्यायालय द्वारा 2021 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 14724 में पारित आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए और 2021 की इसी विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 14724 में 2021 के विविध आवेदन संख्या 1668 में पारित आदेश। 2.संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा की गई दलीलों पर विचार करने से पहले, इस अवमानना याचिका को दायर करने से पहले की कालानुक्रमिक तिथियों और घटनाओं को संदर्भित और विचार करने की आवश्यकता है, जो निम्नानुसार हैं:-

एफ.

जी.

एच.

1154

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 3 एस सी आर।

ए.

2.1 यह कि याची द्वारा प्रतिवादी-कथित अवमानकों के खिलाफ दायर मध्यस्थता कार्यवाही में पारित मध्यस्थता पुरस्कार दिनांक 30.08.2018 द्वारा, विद्वान मध्यस्थ ने शेयर खरीद समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन को सम्मानित विद्वान और कहा कि याची रुपये की राशि की वसूली का हकदार है। 20.12.2014 से वसूली तक 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 78,33,37,500/-।

बी.

2.2 विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार को चुनौती देते हुए, प्रत्यर्थी ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद "1996 का अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 34 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष 2019 की वाणिज्यिक मध्यस्थता याचिका संख्या 55 को प्राथमिकता दी।उक्त मध्यस्थता याचिका में, यहाँ उत्तरदाताओं-मूल आवेदकों ने पुरस्कार पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुए 2019 का प्रस्ताव संख्या 960 निकाला।2.3 उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रार्थना खंड "ए" के संदर्भ में उक्त प्रस्ताव की सूचना का इस शर्त पर निपटारा विद्वान कि उत्तरदाता बारह सप्ताह के भीतर दी गई राशि का 50 प्रतिशत जमा कर दें।विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी कहा कि यदि इस तरह की जमा राशि

निर्धारित समय के भीतर नहीं की जाती है, तो दी गई अंतरिम रोक न्यायालय को आगे भेजे बिना खाली हो जाएगी।साथ ही, याची को राशि जमा करने के एक सप्ताह के भीतर प्रत्यर्थी संख्या 2 कंपनी में अपनी हिस्सेदारी का 50 प्रतिशत जमा करने का भी निर्देश दिया गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी स्पष्ट विद्वान कि यदि प्रत्यर्थी -मूल आवेदक निर्देशानुसार भुगतान करने में कोई चूक करते हैं, तो प्रत्यर्थी (आवेदक) को ऐसे शेयर जमा करने की आवश्यकता नहीं है।2.4 ऐसा प्रतीत होता है कि पुरस्कार को चुनौती देने वाले 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन किए जाने से पहले ही, पुरस्कार लेनदार ने 2018 के वाणिज्यिक निष्पादन आवेदन संख्या 2908 के रूप में उच्च न्यायालय के समक्ष निष्पादन याचिका दायर की थी।विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 08.08.2019 पर आदेश पारित किए जाने के बाद, 2019 का प्रस्ताव सं. 960 का नोटिस दायर विद्वान गया था।विद्वान एकल न्यायाधीश ने निष्पादन न्यायालय होने के नाते पुरस्कार लेनदार द्वारा 2019 के चैंबर समन संख्या 357 में दिनांकित 18.11.2019 आदेश पारित विद्वान ।विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी को दिनांकित 18.11.2019 आदेश के माध्यम से अपनी संपत्ति की घोषणा करते हुए प्रकटीकरण हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।हालाँकि, उत्तरदाताओं द्वारा दिनांकित 18.11.2019 आदेश का पालन नहीं किया गया था और बार-बार अवधि बढ़ाने की मांग की गई थी।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

2.5 कि इस बीच, उत्तरदाताओं ने 2019 की वाणिज्यिक अपील संख्या 521 की स्थापना की, जिसमें दिनांकित 08.08.2019 आदेश को चुनौती दी गई, जिसके द्वारा, ए

एच.

1155

उर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट फंड बनाम धर्मेश एस. जैन और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]
ए.

उच्च न्यायालय ने विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार पर रोक लगाते हुए उन्हें दी गई राशि का 50 प्रतिशत जमा करने का निर्देश दिया।यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि 2019 की वाणिज्यिक अपील संख्या 521 के लंबित रहने के दौरान, उत्तरदाताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानकर्ताओं-अपीलार्थियों ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निर्देशित राशि जमा करने

के लिए कई बार अवधि बढ़ाने का अनुरोध विद्वान ।2.6 उपरोक्त अपील को दिनांकित 29.07.2021 आदेश के माध्यम से बनाए रखने योग्य नहीं होने के कारण खारिज कर दिया गया और अंतरिम आवेदन का भी निपटारा कर दिया गया।इससे व्यथित होकर, उत्तरदाताओं ने 2019 के प्रस्ताव सं. 960 की सूचना और 2019 की वाणिज्यिक मध्यस्थता याचिका सं. 55 में दिनांकित आदेश को चुनौती देते हुए इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका को प्राथमिकता दी।कि 17.09.2021 दिनांकित आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर उक्त विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया।हालाँकि, इसमें उत्तरदाताओं-याचिकाकर्ताओं की ओर से इस न्यायालय के समक्ष अनुरोध किया गया था कि वे 08.08.2019 दिनांकित आदेश का पालन करने के लिए 17.09.2021 से और आठ सप्ताह का समय दें, जिसके द्वारा वे मध्यस्थ द्वारा दी गई राशि का 50 प्रतिशत जमा करेंगे।इस न्यायालय ने अनुरोध के अनुसार आठ सप्ताह का और समय दिया।चूंकि विशेष अनुमति याचिका में उत्तरदाताओं को नोटिस दिए बिना एक तरफ से आदेश पारित किया गया था, इसलिए आवेदक ने दिनांकित आदेश को याद करने के लिए 2021 के विविध आवेदन संख्या 1668 को प्राथमिकता दी, जिसके द्वारा इस न्यायालय के समक्ष उत्तरदाताओं-याचिकाकर्ताओं को आगे आठ सप्ताह का समय दिया गया था।

बी.

सी.

डी.

ई.

2.7 आवेदकों की ओर से यह मामला था कि उत्तरदाताओं का आदेश का पालन करने और विद्वान मध्यस्थ द्वारा दी गई राशि का 50 प्रतिशत जमा करने का कोई इरादा नहीं है और आगे आठ सप्ताह का समय केवल समय समाप्त करने के लिए मांगा जाता है क्योंकि राशि जमा करने और/या उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित आदेश का पालन करने का कोई इरादा नहीं है। 2.8 कि प्रत्यर्थियों की ओर से वकील सहित संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, इस न्यायालय ने 2021 के विविध आवेदन संख्या 1668 में दिनांकित 28.10.2021 आदेश पारित किया, जिसका अनुपालन न करने का भी आरोप है। दिनांक 28.10.2021 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने 2021 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 14724 में इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया था कि वे उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.08.2019 के अनुसार सकारात्मक रूप से और इस न्यायालय द्वारा दिए गए समय (आठ सप्ताह) के भीतर जमा की जाने वाली राशि का पालन करें और जमा करें।इस न्यायालय ने यह भी कहा कि इसका पालन न करने को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा और उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार राशि जमा नहीं की जाएगी।

एफ.

जी.

एच.

1156

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 3 एस सी आर।

आक्षेपित आदेश को इस न्यायालय के आदेश का पालन न करने और इसके गंभीर परिणाम होने के रूप में भी माना जाएगा।

2.9 इस न्यायालय द्वारा जारी विशिष्ट निर्देशों के बावजूद, प्रत्यर्थियों ने न तो उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 08.08.2019 द्वारा पारित आदेश का पालन किया और न ही 2021 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 14724 में 2021 के विविध आवेदन संख्या 1668 में इस न्यायालय द्वारा दिनांकित 28.10.2021 द्वारा पारित आदेश का पालन किया।

बी.

2.10 कि आवेदक ने यहाँ उत्तरदाताओं को दिनांक 16.11.2021 पर एक कानूनी नोटिस दिया, जिसके द्वारा उत्तरदाताओं को उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 08.08.2019 के आदेश के साथ-साथ इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17.09.2021 और 28.10.2021 द्वारा पारित आदेशों का पालन करने के लिए कहा गया था।उक्त कानूनी नोटिस में, यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि यदि उपरोक्त आदेशों का पालन नहीं किया जाता है, तो याचिकाकर्ताओं को न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए उचित कार्यवाही शुरू करने के लिए आगे बढ़ने के लिए विवश किया जाएगा।उत्तरदाताओं को एक अन्य कानूनी नोटिस दिया गया था जिसमें बताया गया था कि इस न्यायालय द्वारा 2021 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 14724 में दिनांकित 08.08.2019 आदेश का पालन करने के लिए दिया गया समय समाप्त हो गया था।उपरोक्त के बावजूद, न तो उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 08.08.2019 द्वारा पारित आदेश का पालन किया गया और न ही इस न्यायालय द्वारा दिनांकित 17.09.2021 और 28.10.2021 द्वारा पारित आदेशों का पालन किया गया।इसके बजाय, यह महसूस करने के बाद कि दिनांकित 28.10.2021 आदेश का पालन न करने से गंभीर परिणाम हो सकते हैं, उत्तरदाताओं ने यहाँ 17.01.2022 पर 2022 का विविध आवेदन संख्या 61 दायर किया और इस न्यायालय द्वारा 2021 के विविध आवेदन संख्या 1668 में पारित दिनांकित 28.10.2021 आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया।

सी.

डी.

ई.

2.11 दिनांक 25.01.2022 के एक विस्तृत आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने उक्त आवेदन को खारिज कर दिया था जिसके द्वारा उत्तरदाताओं ने 2021 के विविध आवेदन संख्या 1668 में पारित दिनांकित 28.10.2021 के आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया था।

एफ.

2.12 इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा-2022 के विविध आवेदन संख्या 61 में इस न्यायालय के समक्ष आवेदकों द्वारा इस न्यायालय द्वारा दिनांकित आदेश 28.10.2021 द्वारा जारी निर्देशों पर कई प्रस्तुतियाँ की गई थीं, जो वर्तमान कार्यवाही में इस न्यायालय के समक्ष प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा फिर से की गई हैं और 2022 के विविध आवेदन संख्या 61 पर निर्णय लेते समय इस न्यायालय द्वारा सभी प्रस्तुतियों पर विचार किया गया था।

जी.

एच.

1157

उर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट फंड बनाम धर्मेश एस. जैन और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]
ए.

ए.

2.13 इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि 2022 का विविध आवेदन संख्या 61 दाखिल करने से पहले, याचिकाकर्ताओं ने पहले ही वर्तमान आवेदन दायर कर दिया था, जिसमें 2021 के विविध आवेदन संख्या 1668 में पारित आदेश की अवज्ञा का आरोप लगाया गया था, जो कि 18.11.2021 पर दायर किया गया था, जिसमें इस न्यायालय ने उत्तरदाताओं को 10.12.2021 के आदेश के माध्यम से नोटिस जारी करने का निर्देश दिया था, जिसमें इसे 10.01.2022 पर वापस करने योग्य बनाया गया था और वर्तमान अवमानना याचिकाओं में इस न्यायालय के नोटिस के साथ दिया गया था, उत्तरदाताओं ने 2022 का उपरोक्त विविध आवेदन संख्या 61 दायर किया और दिनांकित 28.10.2021 आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया है, जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, जिसे इस न्यायालय द्वारा पहले ही खारिज कर दिया गया है।

बी.

सी.

3. श्री श्याम दीवान, प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता-कथित अवमानकर्ताओं ने 2022 के विविध आवेदन संख्या 61 पर निर्णय लेते समय जो पहले प्रस्तुत विद्वान गया था, उसे दोहराया है।

3.1 विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दीवान ने प्रस्तुत विद्वान है कि इस न्यायालय द्वारा ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं विद्वान गया है जिसका पालन न करने का आरोप लगाया गया हो।उसी के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने प्रस्तुत विद्वान कि दिनांक 17.09.2021 के आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने प्रत्यर्थियों द्वारा पसंद की गई विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 08.08.2019 के आदेश का पालन करने के लिए समय बढ़ाया।यह प्रस्तुत विद्वान जाता है कि उक्त आदेश दिनांक 08.08.2019 प्रस्ताव की सूचना पर पारित एक अंतरिम आदेश था, जिसके द्वारा विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार पर रोक लगाते हुए, उत्तरदाताओं को दी गई राशि का 50 प्रतिशत जमा करने का निर्देश दिया गया था। यह प्रस्तुत विद्वान जाता है कि दिनांकित 08.08.2019 आदेश में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने विशेष रूप से कहा कि इसका पालन न करने पर, दी गई अंतरिम रोक खाली हो जाएगी।यह तर्क दिया जाता है कि निर्धारित अवधि और विस्तारित अवधि के भीतर प्रदत्त राशि का 50 प्रतिशत जमा नहीं करने से, विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार पर कोई रोक नहीं होगी और इसलिए उक्त पुरस्कार निष्पादन योग्य होगा और निष्पादन कार्यवाही की सुनवाई और आगे बढ़ने की आवश्यकता है।इसलिए यह आग्रह किया जाता है कि दिनांक 1 के आदेश का पालन न करने से अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दिनांक 1 के आदेश को अनिवार्य आदेश या दी गई राशि का 50 प्रतिशत जमा करने का निर्देश नहीं कहा जा सकता है।यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि 17.09.2021 दिनांकित आदेश को इस न्यायालय द्वारा जारी कोई आदेश या निर्देश नहीं कहा जा सकता है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

3.2 श्री दीवान, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, हमें 1996 के अधिनियम की धारा 36 में उनके इस कथन के समर्थन में ले गए हैं कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दी गई राशि को जमा नहीं करने

पर, पुरस्कार निष्पादन योग्य है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह के निष्पादन आवेदन पहले से ही दायर और लंबित है।

3.3 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि जब याची ने इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 17.09.2021 के आदेश को वापस लेने की मांग करते हुए 2021 का विविध आवेदन संख्या 1668 दायर किया, तो याची ने भी जमा की शर्त को जमा करने के लिए एक अनिवार्य निर्देश नहीं माना।

बी.

3.4 उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दीवान द्वारा आगे प्रस्तुत विद्वान गया है कि दिनांकित 17.09.2021 आदेश एक अनिवार्य आदेश नहीं था जिसमें उत्तरदाताओं को राशि का 50 प्रतिशत जमा करने का निर्देश दिया गया था और 17.09.2021 दिनांकित आदेश विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के अनुसार राशि जमा करने के लिए उत्तरदाताओं के पक्ष में समय बढ़ाने का आदेश था।यहां तक कि याची द्वारा दिनांकित 17.09.2021 के आदेश को वापस लेने के लिए दायर एक आवेदन पर पारित 28.10.2021 के बाद के आदेश को भी एक अनिवार्य आदेश और/या निर्देश नहीं कहा जा सकता है, जिसका पालन न करने पर अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत किसी भी कार्यवाही की आवश्यकता होती है।

सी.

डी.

3.5 उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दीवान ने आगे यह आग्रह विद्वान कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश का पालन न करने पर, जिसके द्वारा राशि का 50 प्रतिशत जमा न करने पर दी गई अंतरिम रोक खाली हो गई थी और इसलिए, पुरस्कार का निष्पादन विद्वान जाना है, जिसके लिए निष्पादन कार्यवाही लंबित है और न्यायालय की अवमानना कार्यवाही याची के लिए उपलब्ध उपाय नहीं है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके द्वारा अभिनिर्धारित

ई.

आर. एन. डे और अन्य के मामले में न्यायालय। बनाम। भाग्यबती प्रामाणिक

एफ.

और अन्य, (2000) 4 एस. सी. सी. 400, अवमानना के हथियार का उपयोग किसी डिक्री को निष्पादित करने या किसी आदेश को लागू करने के उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है जिसके लिए कानून उचित प्रक्रिया प्रदान करता है।

3.6 प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दीवान ने तर्क दिया है कि इस तरह इस न्यायालय और/या यहां तक कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश की जानबूझकर अवज्ञा नहीं की गई है।वास्तव में, उत्तरदाताओं ने जमा की शर्त का पालन करने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए हैं।हालाँकि, इस माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए आठ सप्ताह के समय के दौरान सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, उत्तरदाताओं द्वारा सामना की जा रही गंभीर और दुर्गम चुनौतियों/कठिनाइयों को देखते हुए उत्तरदाता जमा की शर्त का पालन करने में असमर्थ रहे हैं।

जी.

एच.

1159

उर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट फंड बनाम धर्मेश एस. जैन और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]
ए.

ए.

3.7 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि विवाद एक वाणिज्यिक विवाद की प्रकृति का है और बातचीत चल रही है और अंतिम आंकड़ों का निपटारा किया जाना है।कि उत्तरदाता पहले ही रुपये का डिमांड ड्राफ्ट दे चुके हैं। अपनी प्रामाणिकता दिखाने के लिए 5 करोड़ रुपये और जमा करने के लिए तैयार हैं। उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री के साथ 5 करोड़।यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब कोई जानबूझकर अवज्ञा नहीं होती है, तो वर्तमान अवमानना कार्यवाही को खारिज कर दिया जाता है।इस निर्णय पर भरोसा रखा गया है

बी.

मृत्युंजय दास और अन्न के मामले में न्यायालय। बनाम सैयद हसीबुर रहमान और अन्य**, (2001) 3** एस**.** सी**.** सी**. 739 (**पारस **13** और **14);** राम किशन बनाम तरुण बजाज और अन्य**, (2014) 16** एस**.** सी**.** सी**. 204 (**पारस **11** से **15);** दिनेश कुमार गुप्ता बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य**, (2010) 12** एस**.** सी**.** सी**. 770 (**पैरा **17);** जॉली जॉर्ज वर्गीज और अन्य। बनाम। द बैंक ऑफ कोचीन**, (1980) 2** एस**.** सी**.** सी**. 360 (**पैरा **1,2,4,6,10** और **11) ;** और डॉ**.** यू**.** एन**.** बोरा**,** पूर्व। मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य। बनाम असम रोलर फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और एएनआर। **(2022) 1** एस**.** सी**.** सी**. 101 (**पैरा **8** और **9).**

सी.

4. याची की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जयंत भूषण ने कहा है कि आज तक कुल रु। विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार के अनुसार उत्तरदाताओं द्वारा 190 करोड़ रुपये देय और देय है, जो चार साल पहले पारित विद्वान गया था।4.1 विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री भूषण द्वारा

प्रस्तुत विद्वान गया है कि याची द्वारा निष्पादन कार्यवाही दायर करने से लेकर हर स्तर पर, प्रतिवादियों ने किसी न किसी आधार पर पुरस्कार के निष्पादन में देरी की है, प्रस्ताव की सूचना दायर करके और प्रदत्त राशि का 50 प्रतिशत जमा करने की शर्त पर पुरस्कार पर अंतरिम रोक प्राप्त करके और उसके बाद अपील के लंबित रहने के दौरान भी विस्तार प्राप्त करके और न्यायालय को यह विश्वास दिलाते हुए कि वे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेशों के अनुसार राशि जमा करेंगे।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इन सभी अवधियों के दौरान, उत्तरदाताओं ने उनके द्वारा मांगे गए विस्तार का लाभ उठाया है।यह प्रस्तुत विद्वान जाता है कि इसलिए उत्तरदाताओं के लिए अब यह कहना खुला नहीं होगा कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपने दिनांकित 08.08.2019 आदेश में आदेशित राशि का 50 प्रतिशत जमा नहीं करने पर, पुरस्कार निष्पादन योग्य है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

4.2 याची की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जयंत भूषण ने कहा कि प्रतिवादियों ने भी याची द्वारा चैंबर समन में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं विद्वान है, जिसके द्वारा प्रतिवादियों को अपनी संपत्ति का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि कई के बावजूद

एच.

उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अवसरों पर, प्रत्यर्थियों ने उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देश का पालन नहीं किया है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थियों को अपनी संपत्ति का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था, जिसे उन्होंने लगभग ढाई साल की अवधि के बाद घोषित किया था।इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि उत्तरदाताओं की ओर से पूरे आचरण के दौरान यह सुझाव दिया जाता है कि उत्तरदाताओं को न्यायालय (ओं) द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों का पालन नहीं करने की आदत है।

बी.

4.3 याची की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जयंत भूषण द्वारा यह भी प्रस्तुत विद्वान गया है कि 2022 के विविध आवेदन संख्या 61 को खारिज करने के बावजूद, उत्तरदाताओं में अब यह कहने का दुस्साहस है कि 28.10.2021 दिनांकित आदेश को अनिवार्य निर्देश नहीं कहा जा सकता है।उन्होंने हमें 2022 के विविध आवेदन संख्या 61 के कथनों पर ले जाया है जिसमें बहुत ही उत्तरदाताओं ने कहा है कि 28.10.2021 का आदेश एक अनिवार्य आदेश/निर्देश है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह का रुख अपनाकर, उत्तरदाताओं ने अपने अपमानजनक आचरण को बढ़ा दिया है।

सी.

डी.

4.4 अब, जहाँ तक प्रत्यर्थियों की ओर से यह निवेदन विद्वान गया है कि, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांकित 08.08.2019 द्वारा पारित आदेश और इस माननीय न्यायालय द्वारा दिनांकित 17.09.2021 द्वारा पारित बाद के आदेश को एक निर्देश नहीं कहा जा सकता है और यदि इसका पालन नहीं विद्वान जाता है, तो 1996 के अधिनियम की धारा 36 के तहत परिणाम सामने आएंगे और उसके बाद पुरस्कार को निष्पादित करना होगा, यह याची की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जयंत भूषण द्वारा जोरदार रूप से प्रस्तुत विद्वान गया है कि कथित गैर-अनुपालन केवल उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांकित 08.08.2019 के आदेश और इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 17.09.2021 के आदेश का नहीं है, बल्कि गैर-अनुपालन है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त आदेश में ही, यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि निर्देशों का पालन न करने के गंभीर परिणाम होंगे।यह प्रस्तुत विद्वान जाता है कि उपरोक्त के बावजूद, उत्तरदाताओं ने दिनांक 08.08.2019 के आदेश के अनुसार विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा आदेशित राशि जमा नहीं की है।

ई.

एफ.

जी.

4.5 अब, जहाँ तक उत्तरदाताओं की ओर से यह निवेदन है कि कोई जानबूझकर अवज्ञा नहीं है और अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, वे वित्तीय संकट और अन्य प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण आदेश के अनुसार राशि जमा करने की स्थिति में नहीं हैं, यह ए द्वारा जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है।

एच.

उर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट फंड बनाम धर्मेश एस. जैन और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]
ए.

याची की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जयंत भूषण ने कहा कि अब लिया गया उपरोक्त रुख और कुछ नहीं बल्कि एक विचार है और जब 2022 का विविध आवेदन संख्या 61 दायर विद्वान गया था, तब भी उत्तरदाताओं की ओर से यह मामला नहीं था कि वित्तीय बाधा और/या प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण, वे राशि जमा करने की स्थिति में नहीं हैं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि उत्तरदाता भी रुपये के विकास अधिकार बेच सकते हैं। 100 करोड़ और उनके पास वित्तीय क्षमता है लेकिन उन्होंने जानबूझकर इस न्यायालय के आदेशों की अवज्ञा की है।

बी.

4.6 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करना और निर्णयों पर भरोसा करना

राम नारंग न्यायालय रमेश नारंग और अन्र (2006) 11 एस. सी. सी. 114 (पारस 24,25,30 और 32); बैंक ऑफ बड़ौदा बनाम सद्रुद्दीन हसन दया और अन्र। (2004) 1 एस. सी. सी. 360 (पारस 12 और 14); और रीता मार्कंडेय बनाम. सुरजीत सिंह अरोड़ा, (1996) 6 एस. सी. सी. 14

सी.

(पैरा 12), यह प्रार्थना की जाती है कि इस न्यायालय द्वारा दिनांकित 28.10.2021 आदेश के माध्यम से जारी किए गए निर्देश की जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 को उपयुक्त रूप से दंडित किया जाए।

डी.

5. संबंधित पक्षों के विद्वान वरिष्ठ वकील को विस्तार से सुना।6. वर्तमान याचिका में, यह प्रार्थना की गई है कि इस न्यायालय द्वारा 2021 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 14724 में पारित आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए अदालत की अवमानना अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रतिवादियों को दंडित किया जाए और 2021 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 14724 में 2021 के विविध आवेदन संख्या 1668 में पारित आदेश को भी दंडित किया जाए।तत्काल संदर्भ के लिए उक्त आदेश निम्नानुसार निकाले गए हैं:

ई.

दिनांकित आदेश **17.09.2021**

“देरी को माफ कर दिया गया।

एफ.

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान को सुनने के बाद और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश प्रस्ताव आवेदन और अंतरिम आदेश के नोटिस विद्वान है, हम विवादित आदेश विद्वान हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखते हैं।

जी.

विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी जाती है।

लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।हालाँकि, जैसा कि अनुरोध किया गया है, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश का पालन करने के लिए आवेदकों को आज से आठ सप्ताह का और समय देते हैं।"

एच.

दिनांकित आदेश **28.10.2021**

"श्री जयंत भूषण को सुनने के बाद, प्रत्यर्थी नं. 1 इसमें/आवेदक-अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट फंड और श्री कुणाल वाजानी, इस न्यायालय के समक्ष मूल याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, हम वर्तमान आवेदन का निपटारा इस टिप्पणी के साथ करते हैं कि एसएलपी (सी) संख्या में इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं को उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश के अनुसार जमा की जाने वाली राशि का सकारात्मक रूप से और इस न्यायालय द्वारा दिए गए समय के भीतर पालन करना होगा और जमा करना होगा और इसका पालन न करने को बहुत गंभीरता से माना जाएगा और विवादित आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित राशि का जमा न करने को हमारे आदेश का पालन न करने के रूप में माना जाएगा, जिसके गंभीर परिणाम भी होंगे।

बी.

सी.

इसके साथ, वर्तमान आवेदन का निपटारा कर दिया जाता है।"

डी.

7. यह प्रतिवादियों-कथित अवमानकों की ओर से मामला है कि इस माननीय न्यायालय द्वारा 2021 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 14724 में पारित आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने उक्त विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए मूल आवेदकों को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन करने के लिए आठ सप्ताह का और समय दिया है, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने मूल आवेदकों-प्रतिवादियों के पक्ष में एक सशर्त स्थगन आदेश

पारित किया है और दी गई राशि का 50 प्रतिशत जमा करने के लिए, जिसमें विफल रहने पर रोक खाली हो जाती है।प्रत्यर्थियों की ओर से यह मामला है कि दिनांकित 08.08.2019 आदेश का पालन न करने पर, 1996 के अधिनियम की धारा 36 के तहत आवश्यक परिणाम सामने आएंगे और पुरस्कार को निष्पादित करने के लिए कार्यवाही आगे बढ़ानी होगी।इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि 08.08.2019 दिनांकित आदेश को एक निर्देश नहीं कहा जा सकता है और निष्पादन कार्यवाही के साथ आगे बढ़ने के लिए आवेदकों के लिए उपलब्ध उपाय को देखते हुए, 08.08.2019 दिनांकित आदेश और/या 2021 की विशेष अनुमति याचिका (C) संख्या 14724 में इस न्यायालय द्वारा दिनांकित 17.09.2021 द्वारा पारित आदेश की अवज्ञा के लिए अदालत की अवमानना अधिनियम के तहत कोई कार्यवाही कायम नहीं रखी जाएगी।मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और उत्तरदाताओं के आचरण पर विचार करते हुए, इस निवेदन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

ई.

एफ.

जी.

8. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आवेदक के पक्ष में दिनांकित 30.08.2018 का एक पुरस्कार है और विद्वान मध्यस्थ ने विशिष्ट ए को सम्मानित विद्वान था।

एच.

1163

उर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट फंड बनाम धर्मेश एस. जैन और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]
ए.

शेयर खरीद समझौते का निष्पादन और यह अभिनिर्धारित किया कि आवेदक रुपये की राशि की वसूली का हकदार है। 78,33,37,500/- 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ, 20.12.2014 से वसूली होने तक और इसके लिए 500/- रुपये भी दिए गए थे। प्रत्यर्थी कंपनी के खिलाफ 50 लाख।इसके बाद पुरस्कार लेनदार ने 10.12.2018 पर निष्पादन याचिका दायर की थी और तब से, उत्तरदाताओं ने एक के बाद एक कार्यवाही शुरू करके और 2019 के प्रस्ताव संख्या 960 और 2019 की वाणिज्यिक मध्यस्थता याचिका संख्या 55 पर पारित उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 08.08.2019 द्वारा पारित अंतरिम आदेश का विस्तार प्राप्त करके आज तक पुरस्कार के निष्पादन से सफलतापूर्वक बचा है।दिनांक 08.08.2019 के आदेश के बाद, प्रत्यर्थियों ने कई विस्तारों की मांग की, जिन्हें उच्च न्यायालय ने इस विश्वास पर मंजूरी दे दी कि प्रत्यर्थियों ने दिनांकित 08.08.2019 के आदेश के अनुसार राशि जमा कर दी है।इस प्रकार, प्रत्यर्थियों ने न्यायालय द्वारा दिए गए विस्तार का

लाभ उठाया और प्रत्यर्थियों को दिनांकित 08.08.2019 आदेश के अनुसार जमा करने के लिए समय का विस्तार दिया गया, जो उनके अनुरोध पर दिया गया था।

बी.

सी.

डी.

लगभग दो वर्ष और उससे अधिक की अवधि के लिए विस्तार का लाभ लेने के बाद, उत्तरदाताओं के लिए यह तर्क देना खुला नहीं है कि चूंकि उन्होंने दिनांक 1 के आदेश के अनुसार राशि जमा नहीं की है, इसलिए 1996 के अधिनियम की धारा 36 के तहत आवश्यक परिणाम सामने आएंगे और निष्पादन कार्यवाही को आगे बढ़ाना होगा।जैसा कि ऊपर देखा गया है, प्रत्यर्थियों के कहने पर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश और बाद में दिए गए विस्तार को देखते हुए निष्पादन कार्यवाही में देरी की गई है।इसमें उत्तरदाताओं को दिनांक 1 के आदेश के अनुसार राशि जमा करने के लिए दिए गए समय के विस्तार का लाभ मिला है और इसके परिणामस्वरूप दो साल से अधिक समय तक निष्पादन की कार्यवाही में सफलतापूर्वक बाधा आई है।ऐसा करने के बाद, उत्तरदाताओं को अब यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 के आदेश का पालन करने के लिए कोई अनिवार्य निर्देश नहीं था।प्रत्यर्थियों की ओर से ऐसा आचरण और कुछ नहीं बल्कि कानून और न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है, जिसकी निंदा की जाती है।इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि उच्च न्यायालय द्वारा चैंबर समन में पारित आदेश, जिसमें उत्तरदाताओं को अपनी संपत्ति का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था, का भी लगभग दो साल की अवधि तक पालन नहीं किया गया था।यह उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की अवहेलना और अनादर करने के प्रतिवादियों के इरादे और आचरण को दर्शाता है।

ई.

एफ.

जी.

एच.

9. अन्यथा भी, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि यह आरोप लगाया गया है कि 2021 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 14724 में 2021 के विविध आवेदन संख्या 1668 में

पारित इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जानबूझकर अवज्ञा और/या गैर-अनुपालन किया गया है, जिसे 2021 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 14724 में पुनः प्रस्तुत किया गया है।

10. वर्तमान अवमानना कार्यवाही शुरू होने और वर्तमान कार्यवाही में प्रत्यर्थियों को नोटिस दिए जाने के बाद प्रत्यर्थियों ने 2021 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 14724 में 2021 के विविध आवेदन संख्या 1668 में दिनांकित 28.10.2021 आदेश को वापस लेने के लिए 2022 का विविध आवेदन संख्या 61 दायर किया।अब जो प्रस्तुतियाँ की गई हैं, वे 2022 के विविध आवेदन संख्या 61 की सुनवाई के समय की गई थीं और 25.01.2022 दिनांकित एक विस्तृत आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने उक्त आवेदन को खारिज कर दिया।2022 के विविध आवेदन संख्या 61 में पारित आदेश को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

बी.

सी.

“1. वर्तमान विविध आवेदन को आवेदकों-मूल याचिकाकर्ताओं द्वारा 2021 के विविध आवेदन संख्या 1668 में पारित 28.10.2021 दिनांकित आदेश को वापस लेने के अनुरोध के साथ प्राथमिकता दी गई है।

डी.

2. श्री श्याम दीवान, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, आवेदकों की ओर से पेश हुए हैं और श्री जयंत भूषण, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रतियोगी प्रत्यर्थी की ओर से पेश हुए हैं।2.1 आवेदकों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम दीवान ने एम. ए. सं. 1668/2021 में पारित दिनांकित 28.10.2021 आदेश को वापस लेने की अपनी प्रार्थना के समर्थन में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैंः

ई.

एफ.

i) कि विविध आवेदन संख्या 1668/2021 स्वयं रखरखाव योग्य नहीं था क्योंकि यह निपटारे गए मामले में दायर किया गया था;(ii) कि विविध आवेदन संख्या 1668/2021 में मूल याचिकाकर्ताओं को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था और आवेदकों की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया था; और

जी.

iii) आवेदकों द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका में, इस न्यायालय द्वारा ऐसा निर्देश जारी नहीं किया जा सकता था जैसा कि दिनांक 28.10.2021 के आदेश द्वारा पारित किया गया था।यह मानते हुए प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदकों ने उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित

08.08.2019 द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं किया था, जिसे इस न्यायालय के समक्ष आक्षेपित किया गया था, और ए

एच.

1165

उर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट फंड बनाम धर्मेश एस. जैन और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]
ए.

इस न्यायालय द्वारा विस्तारित अवधि के भीतर भी राशि जमा नहीं की गई थी, उस मामले में, एकमात्र परिणाम यह होगा कि मध्यस्थता पुरस्कार पर कोई रोक नहीं थी और निष्पादन कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाना है।इसलिए, मूल याचिकाकर्ताओं को उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार जमा की जाने वाली राशि को सकारात्मक रूप से और इस न्यायालय द्वारा दिए गए समय के भीतर जमा करने के लिए दिनांक 1 के आदेश में जारी किया गया निर्देश और उसका पालन न करने को बहुत गंभीरता से माना जाएगा और विवादित आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित राशि को जमा न करने को हमारे आदेश का पालन न करने के रूप में माना जाएगा, जिसके गंभीर परिणाम भी होंगे, जो बिल्कुल भी वारंट नहीं था और/या ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता था।

बी.

सी.

3. हमने याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम दीवान को विस्तार से उपस्थित होते हुए सुना है।

प्रारंभ में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि जब इस न्यायालय ने दिनांक 1 का आदेश पारित विद्वान , तो श्री कुणाल वाजानी, विद्वान अधिवक्ता, आवेदकों-मूल याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित हुए और इस न्यायालय ने मूल याचिकाकर्ताओं-आवेदकों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद दिनांक 1 का आदेश पारित विद्वान ।एम. ए. नं. 1668/2021 की एक प्रति वकील को दी गई और उसके बाद वह पेश हुए और आवेदकों की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री कुणाल वाजानी को सुनने के बाद, इस न्यायालय ने दिनांक 28.10.2021 का आदेश पारित विद्वान ।उस समय, न तो मामले को स्थगित करने का कोई अनुरोध किया गया था ताकि आवेदक जवाब दाखिल कर सकें और न ही एम. ए. संख्या 1668/2021 की गैर-रखरखाव के संबंध में कोई आपत्ति उठाई गई थी।इसलिए, अब आवेदकों के लिए एम. ए. संख्या 1668/2021 की गैर-रखरखाव और/या कोई नोटिस जारी नहीं किए जाने के संबंध में शिकायत करना खुला नहीं है।

डी.

ई.

एफ.

4. अन्यथा भी, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि वर्तमान आवेदन और कुछ नहीं बल्कि एक विचार के बाद है और केवल अवमानना याचिका संख्या 940/2021 के माध्यम से प्रत्यर्थी द्वारा शुरू की गई अवमानना कार्यवाही को बाहर निकालने की दृष्टि से है।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 28.10.2021 दिनांकित आदेश आवेदकों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता की उपस्थिति में पारित किया गया था।आवेदकों की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।28.10.2021 दिनांकित आदेश को वापस बुलाने के लिए वर्तमान आवेदन को प्राथमिकता दी गई है।

जी.

एच.

लगभग ढाई महीने की अवधि के बाद, यानी आई. डी. 1 पर और वह भी इसके बाद न्यायालय ने अवमानना कार्यवाही में नोटिस जारी किया और आवेदकों को अवमानना याचिका का नोटिस दिए जाने के बाद।इसलिए, वर्तमान आवेदन एक विचार के अलावा और कुछ नहीं है और केवल अवमानना कार्यवाही को बाहर निकालने की दृष्टि से है, जो 18.11.2021 पर शुरू और दायर की गई है और 10.12.2021 पर नोटिस जारी किया गया था।5. अन्यथा भी योग्यता के आधार पर, एम. ए. सं. 1668/2021 में पारित 28.10.2021 दिनांकित आदेश को वापस लेने की आवश्यकता नहीं है।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विशेष अनुमति याचिका वाणिज्यिक मध्यस्थता याचिका संख्या 55/2019 में प्रस्ताव की सूचना No.960/2019 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 08.08.2019 द्वारा पारित आदेश से उत्पन्न हो रही थी। प्रार्थना खंड (ए) के संदर्भ में प्रस्ताव की सूचना इस शर्त पर पूर्ण की गई थी कि आवेदक 08.08.2019 से बारह सप्ताह के भीतर दी गई राशि का 50 प्रतिशत जमा करेंगे।इसमें आवेदकों के कहने पर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए समय को समय-समय पर बढ़ाया गया था, लेकिन आवेदकों ने राशि जमा नहीं की और मामले को और यहां तक कि पुरस्कार के निष्पादन को भी बढ़ा दिया।कि इसके बाद विस्तार प्राप्त करने के बाद आवेदकों ने राशि जमा नहीं की, देर से, आवेदकों ने देरी के साथ 20.08.2021 पर इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान विशेष अनुमति याचिका को प्राथमिकता दी।फिर भी, इस न्यायालय ने एकतरफा देरी को माफ कर दिया और उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 08.08.2019 द्वारा पारित आदेश का पालन करने

के लिए 17.09.2021 से और आठ सप्ताह का समय दिया, जैसा कि आवेदकों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया था।

बी.

सी.

डी.

ई.

6. चूंकि 'आईडी2' दिनांकित आदेश एकतरफा पारित किया गया था और प्रत्यर्थी को सूचना दिए बिना, प्रत्यर्थी ने एम. ए. संख्या 1668/21 को 'आईडी2' दिनांकित आदेश को वापस लेने के लिए प्राथमिकता दी, यह तर्क देते हुए कि अन्य बातों के साथ-साथ, आवेदकों की ओर से निष्पादन में देरी करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं और यहां तक कि आठ सप्ताह का समय केवल समय को कम करने के लिए मांगा गया था और उच्च न्यायालय द्वारा पारित 'आईडी1' दिनांकित आदेश का पालन करने और/या राशि जमा करने का कोई इरादा नहीं है। इसलिए, संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और प्रत्यर्थी की ओर से इस आशंका पर विचार करते हुए कि समय बढ़ाने की मांग केवल समय को कम करने और मामले में और देरी करने के लिए की गई है और दिनांकित 08.08.2019 आदेश का पालन करने का कोई इरादा नहीं है और यह कि आवेदक हालांकि पर्याप्त अनुग्रह ए

एफ.

जी.

एच.

1167

उर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट फंड बनाम धर्मेश एस. जैन और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]
ए.

उच्च न्यायालय द्वारा समय बढ़ाने के माध्यम से दिखाया गया है कि राशि जमा नहीं की गई है और इसलिए मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, हमने दिनांक 28.10.2021 का आदेश पारित किया है।इसलिए, जब मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में 28.10.2021 दिनांकित आदेश पारित किया गया था, तो उसे वापस लेने की आवश्यकता नहीं है, जो आवेदकों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद भी पारित किया गया था।7. इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि दिनांक 1 के आदेश के बाद भी, जिसके द्वारा और आठ सप्ताह का समय दिया गया था, मूल याचिकाकर्ताओं-आवेदकों ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन नहीं किया है, जिसके लिए उन्होंने विस्तार की

मांग की थी।यह आवेदकों के आचरण को दर्शाता है।इसके बाद भी समय बढ़ाने के लिए कोई आवेदन नहीं है।

बी.

सी.

उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन करने के लिए समय बढ़ाने के दिनांक 1 के आदेश का लाभ/लाभ लेने के बाद, इसके बाद आवेदकों के लिए यह तर्क देना खुला नहीं होगा कि गैर-अनुपालन पर मध्यस्थता अधिनियम के तहत आवश्यक परिणाम का पालन किया जा सकता है और निष्पादन कार्यवाही को आगे बढ़ाना पड़ सकता है।जो भी हो, जब दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद दिनांक 1 का आदेश पारित किया गया है और जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है, प्रत्यर्थी की ओर से आशंकाओं पर विचार करने पर कि आवेदकों का उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन करने का कोई इरादा नहीं है और वे केवल कार्यवाही में देरी करना चाहते हैं, दिनांक 1 का आदेश पारित किया गया है।इसलिए, एम. ए. सं. 1668/2021 में पारित 28.10.2021 दिनांकित आदेश को वापस लेने का कोई मामला नहीं बनाया गया है। 8.उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को देखते हुए, वर्तमान आवेदन खारिज कर दिया जाता है।"

डी.

ई.

एफ.

11. इसलिए, 2021 के विविध आवेदन संख्या 1668 में दिनांकित 28.10.2021 आदेश को वापस लेने के लिए 2022 के विविध आवेदन संख्या 61 को खारिज करने के बाद, उत्तरदाताओं को 2021 के विविध आवेदन संख्या 1668 में पारित दिनांकित 28.10.2021 आदेश का पालन करना था।अन्यथा भी, उत्तरदाताओं को दिनांकित 28.10.2021 आदेश का पालन करना आवश्यक था।

जी.

12. इस न्यायालय द्वारा दिनांकित 28.10.2021 आदेश में एक विशिष्ट निर्देश जारी किए जाने के बावजूद उत्तरदाताओं को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार जमा की जाने वाली राशि का पालन करने और जमा करने का निर्देश दिया गया है।

एच.

न्यायालय दिनांक 08.08.2019 सकारात्मक रूप से और 2021 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 14724 में दिनांक 17.09.2021 के आदेश द्वारा इस न्यायालय द्वारा दिए गए समय के भीतर, प्रत्यर्थियों को इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का दुस्साहस है कि इस न्यायालय द्वारा दिनांकित 28.10.2021 आदेश में कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि 2022 के विविध आवेदन संख्या 61 में भी, उत्तरदाताओं की ओर से यह विशिष्ट मामला था कि दिनांकित 28.10.2021 के आदेश के आधार पर, जमा की शर्त को इस न्यायालय के एक अनिवार्य निर्देश में परिवर्तित कर दिया गया है।इसलिए, यह उत्तरदाताओं की ओर से विशिष्ट मामला था कि 28.10.2021 दिनांकित आदेश एक अनिवार्य निर्देश है और इसलिए यह अनुरोध किया गया था कि 28.10.2021 दिनांकित आदेश को वापस लिया जाए।फिर, इसके बाद उत्तरदाताओं को यह कहने की अनुमति कैसे दी जा सकती है कि 28.10.2021 का आदेश एक अनिवार्य निर्देश नहीं है?इस तरह का रुख अपनाकर उत्तरदाताओं ने अवमानना और उनके अपमानजनक आचरण को बढ़ा दिया है।

बी.

सी.

13. दिनांक 28.10.2021 के आदेश में, इस न्यायालय द्वारा जारी एक विशिष्ट निर्देश है जिसमें उत्तरदाताओं को निर्देश दिया गया है-विशेष अनुमति याचिका में मूल याचिकाकर्ताओं को उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार सकारात्मक रूप से और इस न्यायालय द्वारा (आठ सप्ताह) दिए गए समय के भीतर जमा की जाने वाली राशि का पालन करने और जमा करने का निर्देश दिया गया है, जैसा कि दिनांक 17.09.2021 के आदेश में उल्लेख किया गया है।इसके अलावा, इस न्यायालय द्वारा यह विशेष रूप से कहा गया था कि उक्त आदेश का पालन न करने को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा और उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित राशि का जमा न करने को इस न्यायालय के आदेश का पालन न करने के रूप में माना जाएगा और इसके गंभीर परिणाम भी होंगे।उपरोक्त के बावजूद, 2021 के विविध आवेदन संख्या 1668 में दिनांकित 28.10.2021 आदेश का भी उत्तरदाताओं द्वारा पालन नहीं किया गया है।इसके विपरीत, दिनांक 1 के आदेश में जारी विशिष्ट निर्देश और दिनांक 2 के आदेश के माध्यम से 2022 के विविध आवेदन संख्या 61 को खारिज करने के बावजूद, उत्तरदाताओं ने गैर-अनुपालन और अवज्ञा के अपने अपघर्षक रवैये को जारी रखा है और वही प्रस्तुतियाँ की हैं, जो पहले की गई थीं, जिन्हें एक विस्तृत आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था।2021 के विविध आवेदन संख्या 1668 में दिनांक 1 के आदेश में इस न्यायालय द्वारा पारित निर्देश/आदेश के बावजूद, इसका अवज्ञा/गैर-अनुपालन है और मामले के उस दृष्टिकोण से, श्री श्याम दीवान, निष्पादन आदि के रूप में उपलब्ध वैकल्पिक उपचार पर उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा किए गए निर्णय किसी भी सहायता के नहीं हैं और न ही मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए लागू होते हैं।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1169

उर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट फंड बनाम धर्मेश एस. जैन और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]
ए.

ए.

13.1 अपने इस तर्क को पुष्ट करने के लिए कि जमा की शर्त का पालन न करने से केवल मध्यस्थ का पुरस्कार प्रवर्तनीय हो जाएगा और ऐसी शर्त का पालन न करने के लिए अवमानना की कार्यवाही शुरू नहीं की जानी चाहिए थी जो प्रकृति में अनिवार्य नहीं थी, प्रतिवादी-अवमानक की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने निम्नलिखित मामले कानून का हवाला दियाः

बी.

i) सुधीर वासुदेव बनाम एम**.** जॉर्ज रविशेखरन**-[(2014)**

3 एस. सी. सी. 373] जिसमें, इस न्यायालय ने कहा कि न्यायालय की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने वाले न्यायालय को आदेश के चारों कोनों से आगे नहीं जाना चाहिए, जिसके संबंध में अवमानना का आरोप लगाया गया है।कि अवमानना याचिका की सुनवाई करने वाले न्यायालय को अपनी जांच के दायरे को ऐसे निर्देशों तक सीमित करना चाहिए जो उस निर्णय या आदेश में स्पष्ट हैं जिसकी अवमानना का आरोप लगाया गया है।हमारा विचार है कि यह निर्णय किसी भी तरह से प्रतिवादी-वादियों की सहायता के लिए नहीं आएगा क्योंकि, जिस भी तरीके से अवमानना के आदेशों का आरोप लगाया जाता है, आदेशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अवमानकर्ता को संबंधित आदेशों में निर्दिष्ट अवधि के भीतर राशि जमा करने की आवश्यकता है।अवमानना का दायरा चाहे कितना भी संकीर्ण क्यों न हो, इस न्यायालय को तत्काल जैसी स्थिति के निवारण के लिए अधिनियम के तहत अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने में सक्षम बनाएगा, जिसमें अवमानना के आदेशों में स्पष्ट और स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है कि अवमाननाकर्ता को उसमें निर्दिष्ट राशि जमा करने की आवश्यकता थी।आदेशों के तहत इस निर्देश की व्याख्या किसी अन्य तरीके से नहीं की जा सकती थी।

सी.

डी.

ई.

एफ.

(ii) आर**.** एन**.** डे और अन्य बनामभाग्यबती प्रामाणिक और अन्य। **-**

[(2000) 4 एस. सी. सी. 400] जिसमें इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अवमानना कार्यवाही शुरू करने के हथियार का उपयोग किसी आदेश के निष्पादन या आदेश के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जा सकता है।अर्थात्, न्यायालय को अवमानना क्षेत्राधिकार का आह्वान नहीं करना चाहिए, जहां आदेश की शर्तों को सुरक्षित करने के लिए वैकल्पिक उपाय उपलब्ध हैं।

जी.

हम इस तथ्य को ध्यान में रखते हैं कि अवमानना की कार्यवाही भेष बदलकर निष्पादन की कार्यवाही की प्रकृति की नहीं होनी चाहिए।' हालाँकि, हमारा मानना है कि ऊपर उद्धृत मामला कानून की सहायता के लिए नहीं आएगा

एच.

अवमानना, क्योंकि उक्त मामले के तथ्य वर्तमान मामले से काफी अलग थे।उक्त मामले में, जिस आदेश की अवमानना का आरोप लगाया गया था, उस पर कोई रोक नहीं थी।इसलिए, उसमें डिक्री-धारक बहुत अच्छी तरह से निष्पादन कार्यवाही शुरू कर सकता है।हालाँकि, तत्काल मामले में, उच्च न्यायालय ने 08 अगस्त, 2019 के आदेश द्वारा राशि जमा करने के अधीन पुरस्कार पर रोक लगा दी।इस न्यायालय द्वारा रोक के आदेश को जारी रखते हुए इस तरह की जमा राशि की अवधि दो मौकों पर बढ़ा दी गई है।विस्तारित समय अवधि का लाभ उठाने के बाद, प्रतिवादी-प्रतिवादी, इस मोड़ पर, यह याचिका नहीं ले सकता है कि जमा की शर्त का पालन न करने से केवल मध्यस्थ का पुरस्कार प्रवर्तनीय हो जाएगा और इसका पालन करने में विफलता का अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत कोई परिणाम नहीं होगा।

बी.

सी.

13.2 इसके अलावा, यह सामान्य कानून है कि अधिनियम के तहत किसी न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केवल इसलिए समाप्त नहीं होगा, क्योंकि जिस आदेश या डिक्री की अवमानना का आरोप लगाया गया है, वह कानून के तहत निष्पादित करने योग्य है, यहां तक कि अवमानना कार्यवाही का सहारा लिए बिना भी।

डी.

13.3 अवमानना क्षेत्राधिकार को हर उस मामले में लागू किया जा सकता है जहां अवमानना करने वाले का आचरण ऐसा है जो देय में हस्तक्षेप करेगा।

न्याय का मार्ग; राम नारंग बनाम रमेश नारंग-[(2006)

11 एससीसी **114**।अवमानना एक ऐसा मामला है जो न्यायालय द्वारा उस आदेश को पारित करने के बीच है जिसमें अवमानना का आरोप लगाया गया है और अवमानना करने वाले के बीच है**;** इस तरह के आदेश की निष्पादन क्षमता के बारे में सवाल एक ऐसा सवाल है जो दोनों पक्षों से संबंधित है।अवमानना अधिकारिता का आह्वान करने की न्यायालय की शक्ति**,** किसी भी तरह से**,** पक्षों के अधिकारों द्वारा परिवर्तित नहीं की जाती है।

ई.

बड़ौदा बनाम सदरूद्दीन हसन दया-[(2004) 1 एस. सी. सी. 360]।

14. अब, जहाँ तक उत्तरदाताओं की ओर से मामला है कि कोई जानबूझकर अवज्ञा नहीं है और वित्तीय बाधा के कारण, उत्तरदाता उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित आदेश 08.08.2019 और इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार राशि जमा करने की स्थिति में नहीं हैं, वही एक विचार के अलावा और कुछ नहीं है।इससे पहले कभी भी इस तरह की याचिका नहीं ली गई थी।मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, इस तरह के रुख में अब प्रामाणिकता का अभाव है। उत्तरदाताओं द्वारा 2021 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 14724 में 2021 के विविध आवेदन संख्या 1668 में उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 08.08.2019 द्वारा पारित आदेश और इस न्यायालय द्वारा दिनांकित 28.10.2021 द्वारा पारित आदेश से बाहर निकलने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।यदि उत्तरदाताओं की वास्तविकता स्पष्ट थी और वे वास्तव में उच्च ए द्वारा पारित आदेश का पालन करना चाहते थे

एफ.

जी.

एच.

1171

उर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट फंड बनाम धर्मेश एस. जैन और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]
ए.

न्यायालय और यह न्यायालय, लेकिन वित्तीय कठिनाइयों के कारण जमा नहीं कर सके, उस मामले में, उन्हें तुरंत अपनी वित्तीय कठिनाइयों का अनुरोध करना चाहिए था और उन्हें वह रुख

नहीं अपनाना चाहिए था, जो 2022 के विविध आवेदन संख्या 61 में लिया गया था और जो एक बार फिर अब लिया गया है।

जैसा कि ऊपर देखा गया है, उत्तरदाताओं ने भी उच्च न्यायालय द्वारा चैंबर समन में पारित आदेश के पारित होने की तारीख से लगभग दो साल की अवधि के बाद अपनी संपत्ति का खुलासा किया।इसलिए, हमारी राय है कि अब उत्तरदाताओं द्वारा लिया गया रुख कि वे वित्तीय कठिनाइयों के कारण राशि जमा करने और/या उच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का पालन करने की स्थिति में नहीं हैं और इसलिए उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 08.08.2019 द्वारा पारित आदेश और इस न्यायालय द्वारा दिनांकित 28.10.2021 द्वारा 2021 के विविध आवेदन संख्या 1668 में 2021 की विशेष अनुमति याचिका (C) संख्या 14724 में पारित आदेश का पालन नहीं करने में उत्तरदाताओं द्वारा कोई जानबूझकर अवज्ञा नहीं की गई है।

बी.

सी.

डी.

15. जब एक पक्ष जिसे किसी आदेश में शर्तों या निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता होती है, उसने आदेश में निर्धारित समय के भीतर ऐसा नहीं किया है, तो पक्ष के लिए दो विकल्प उपलब्ध हैं जो इस तरह के आदेश का पालन करने के लिए आवश्यक थेः(क) न्यायालय को उन परिस्थितियों के बारे में स्पष्टीकरण दें जिनके कारण पक्ष न्यायालय के आदेश का पालन नहीं कर सका; (ख) न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए और समय की मांग करें।यदि किसी आदेश की शर्तों का पालन करने में देरी हुई है और आदेश का पालन करने वाले पक्ष ने दोनों में से किसी भी विकल्प का सहारा नहीं लिया है, तो अनुपालन में देरी के लिए जिम्मेदार पक्ष को अवमानना करने वाला माना जा सकता है।

ई.

एफ.

बिहार राज्य बनाम सुभाष सिंह**-[(1997) 4** एससीसी **430]**

15.1 इसके अलावा, मारुति उद्योग बनाम महिंदर सी. मेहता-ए. आई. आर. 2008 एस. सी. 309 मामले में इस न्यायालय के फैसले से पता चलता है कि चाहे कोई डिक्री निष्पादित करने योग्य हो या नहीं, इस न्यायालय द्वारा यह निर्धारित करने के लिए विचार किया जाना चाहिए कि क्या अवमानना का मामला बनाया गया है, क्या अवमानना करने वाले का आचरण ऐसा था जो न्यायालय की अवमानना के लिए सजा देने के लिए एक उपयुक्त मामला बनाएगा।16. ऊपर चर्चा किए गए कानूनी प्रस्तावों को मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, हमारा विचार है कि

प्रतिवादी-अवमानकों का आचरण ऐसा है जो अवमानना क्षेत्राधिकार के आह्वान को उचित ठहराएगा।

जी.

एच.

इस न्यायालय से।अवमानकर्ताओं ने न केवल इस न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में अनुचित रूप से देरी की है और इस तरह के चूक का कारण बताए बिना, या अनुपालन के लिए समय बढ़ाने की मांग किए बिना चूक की है, बल्कि उन्होंने आदेश के अनुपालन से बचने की भी मांग की है, इसके अनुपालन के लिए दी गई विस्तारित समय अवधि का लाभ लेने के बाद भी। अवमानकर्ता इस समय यह दावा नहीं कर सकते कि जमा की आवश्यकता अनिवार्य नहीं थी, लेकिन निर्देशिका और इसलिए इसका पालन न करना अवमानना नहीं होगी।

बी.

17. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, हमारा दृढ़ विचार है कि उत्तरदाताओं ने 2019 की वाणिज्यिक मध्यस्थता याचिका संख्या 55 में 2019 की प्रस्ताव संख्या 960 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जानबूझकर अवज्ञा की है और 2021 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 14724 में 2021 की विविध आवेदन संख्या 1668 में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जानबूझकर अवज्ञा की है और इस तरह उत्तरदाता नागरिक अवमानना के दोषी हैं और अदालत की अवमानना अधिनियम के प्रावधानों के तहत उपयुक्त सजा के लिए खुद को उत्तरदायी ठहराया है। प्रत्यर्थियों, विशेष रूप से, प्रत्यर्थी संख्या 1, को 2019 की वाणिज्यिक मध्यस्थता याचिका संख्या 55 में 2019 की प्रस्ताव संख्या 960 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए और विशेष रूप से 2021 की विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 14724 में 2021 के विविध आवेदन संख्या 1668 में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश की अवज्ञा के लिए इस न्यायालय की अवमानना के लिए दोषी ठहराया जाता है और उन्हें न्यायालय की अवमानना अधिनियम के प्रावधानों के तहत उपयुक्त रूप से दंडित किया जाता है। अब, उत्तरदाताओं को सजा पर सुना जाएगा।

सी.

डी.

ई.

एफ.

बिभूति भूषण बोस

अवमानना याचिका का निपटारा किया गया।

(सहायकः नेहा शर्मा, एलसीआरए)

जी.

एच.